


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23-05-2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलांट स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित। अपीलांट व उनके अधिवक्ता को रुक-रुक कर कई आवाजे लगवाई गई, इसके बावजूद भी अपीलांट अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। सायं 4.30 बजे पुनः अन्तिम बार आवाज लगवाई, बावजूद अपीलांट अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976) अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p style="text-align: center;"> (डॉ. इन्द्रजीत यादव) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)</p>